न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0) कोर्ट सं0–14, बाराबंकी

मूलवाद संख्या–42/2011

मो० आकिक आदि बनाम मुजीब आदि

18.07.2018

निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6

उपरोक्त प्रार्थना पत्र वादीगण द्वारा अन्तर्गत आदेश–39 नियम–1 जाब्ता दीवानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम केन्हौरा परगना रूदौली तहसील राम सनेहीघाट के पुश्तैनी बशिन्दा है। वादीगण आराजी नम्बरी खसरा 145 के मालिक काबिज हैं, उक्त आराजी वादीगण का सहन है, जो उक्त वाद में विवादित है, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर अ ब स द य र से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी चौहद्दी पूरब– खड़ंजा रास्ता व मकान अली मोहम्मद, पश्चिम–मकान वादी, उत्तर–प्लाट सईद व मकान अली मोहम्मद व दक्षिण– मकान प्रतिवादी व खण्डहल अब्दुल्ला है। विवादित भूमि वादीगण का सहन है तथा वादीगण उसका इस्तेमाल आने जाने व उठने बैठने के लिए करते हैं। प्रतिवादीगण का कोई अधिकार, हक विवादित भूमि पर न कभी रहा है न है तथा बमौजिब पंजीकृत इकरारनामा दिनांकित 18.02.1937 वह विवादित भूमि पर सिवाय आमद रफत के अन्य किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने से पाबन्द हैं। प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर कब्जा व निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल 2011 में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा व निर्माण करने की धमकी दी। जिसकी बावत अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति ग–19 प्रस्तुत कर कहा गया है कि प्रतिवादीगण के मकान के जानिब पूरब कभी कोई निकास न रहा है और न है। विदित हो कि प्रार्थीगण का मकान विपक्षीगण के मकान के पश्चिम है तथा विपक्षीगण के मकान के उत्तर उनका सहन है। विवादित भूमि को पूर्वज प्रतिवादीगण और उनके मरने के बाद प्रतिवादीगण बतौर सहन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोई रोक टोक प्रार्थीगण या पूर्वज प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गयी। प्रार्थीगण या पूर्वज प्रार्थीगण का निकास हमेशा से उत्तर रहा है और है। जानिब पूरब बर बिनाय सरहंगी निकास कायम कर लिया है जिस पर विपक्षीगण द्वारा आपत्ति उठायी गयी जिस पर प्रार्थी वादीगण ने बर बिनाय सरहंगी अनसुनी कर दी। प्रार्थीगण विपक्षीगण की भूमि को हड़पना चाहते हैं तथा प्रतिवादीगण को परेशान व जेर–बार करने के लिए वाद दायर कर दिया है। प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया केस सिद्ध नहीं है, न ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है और यदि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तो विपक्षीगण की अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

वादीगण द्वारा सूची ग–9 से इकरारनामा ग–10, इकरारनामा के हिन्दी अनुवाद की छायाप्रति ग–11, सुलह की छायाप्रति ग–12, सूची ग–104 से प्रश्नोत्तर ग–105 दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूची ग–15 से बैनामा क–16, सूची ग–112 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 26.08.2015 सत्यप्रतिलिपि ग–113 दाखिल किया गया है।

तर्क सुने एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

उभय पक्षों द्वारा आदेश पत्र पर पृष्ठांकन किया गया कि प्रार्थना पत्र ग–6 पर यथास्थिति का आदेश पारित किए जाने पर उभय पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उभय पक्षों की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र ग–6 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ग–6 स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि दौरान मुकदमा विवादित भूमि अ ब स द य र के बावत यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31.07.2018 को पेश हो।

(आरती द्विवेदी)
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
कोर्ट संख्या 14, बाराबंकी।